RISING RAJASTHAN

Azadi Ka Amrit Mahotsav

राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 19 / 2025 **GCMS NO:- 2025/121**

अपीलांटगण–

1. श्री इंदाराम पुत्र राजूराम
2. श्री केशाराम पुत्र राजूराम
3. श्री नाथूराम पुत्र राजूराम
4. श्री मेघाराम पुत्र राजूराम

जातियान प्रजापत, निवासीयान नया नया दूदवा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1 श्री अचलाराम पुत्र जेठा उर्फ जेठाराम
2 श्री खुमाराम पुत्र जेठा उर्फ जेठाराम
3 श्री चम्पा पुत्र जेठा उर्फ जेठाराम
4 श्री रिडमल पुत्र जेठा उर्फ जेठाराम
5 श्री खेताराम पुत्र उदाराम
6 श्री ठाकराराम पुत्र उदाराम
7 श्री पन्नाराम पुत्र उदाराम
8 श्री मगाराम पुत्र उदाराम
9 श्री हेमाराम पुत्र उदाराम
10 श्री पदमाराम पुत्र उदाराम
11 श्री चेलाराम पुत्र धनाराम
12 श्री प्रकाश पुत्र धनाराम
13 श्री भूराराम पुत्र धनाराम
14 श्री भीखाराम पुत्र धनाराम
15 श्री मोहनलाल पुत्र धनाराम
16 श्री लक्ष्मणराम पुत्र धनाराम
17 श्रीमती सुकी देवी पत्नी धनाराम
18 श्री भोलाराम पुत्र जोगाराम जातियान प्रजापत, निवासीयान नया दूदवा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा।
19 श्री सरपंच / ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दुदवा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
20 श्री हल्का पटवारी, हल्का पटवार दुदवा तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा
21 श्री तहसीलदार पचपदरा, तहसील पचपदरा, जिला बालोतरा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक / भू.अ. / 2007 / 257 दिनांक 19.01.2007 जो तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित किया।

जिला कलक्टर
बालोतरा

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

उपस्थिति :–

1. श्री प्रेमसिंह तिलवाड़ा व श्री सांवलराम मेघवाल, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री महावीर जीनगर, अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 4 व 18 की ओर से उपस्थित।
3. श्री चम्पालाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंटगण संख्या 9, 11 ता 15 व 17 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेंट संख्या 5, 6, 7, 8, 10 व 16 स्वयं बावजुद सूचना अनुपस्थित।
5. रेस्पोडेंट संख्या 19, 20, 21 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 07.01.2026

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार पचपदरा के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक/भू.अ./2007/257 दिनांक 19.01.2007 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 05.08.2025 को पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा दुदवा, पटवार मण्डल दुदवा, तहसील पचपदरा, के खेत मूल खंसरा संख्या 198 रकबा 11 बीघा 2 विस्वा, खसरा संख्या 200 रकबा 5 विस्वा, खसरा संख्या 201 रकबा 147 बीघा 06 विस्वा व खसरा संख्या 209 रकबा 12 बीघा 04 विस्वा के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.01.2007 को तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की संयुक्त एंड पैतृक भूमि हैं। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक/भू.अ./2007/257 दिनांक 19.01.2007 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.07.2025 को प्रस्तुत की गई।

3. अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अपीलाधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अपीलांटगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण की पैतृक व संयुक्त खातेदारी भुमि मौजा दुदवा, पटवार मण्डल दुदवा, तहसील पचपदरा, के खेत मूल खंसरा संख्या 198 रकबा 11 बीघा 2 विस्वा, खसरा संख्या 200 रकबा 5 विस्वा, खसरा संख्या 201 रकबा 147 बीघा 06 विस्वा व खसरा संख्या 209 रकबा 12 बीघा 04 विस्वा में अवस्थित है। उक्त खसरान का विभाजन हेतु आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार पचपदरा के समक्ष ग्राम अभियान 2007 के दौरान पेश किया गया। उपरोक्त खसरो में आपसी सहमति से अपनी रहवासीय ढाणियों व मकानात अनुसार प्रत्येक खातेदार का हिस्सा को ध्यान में रखते कब्जा व काश्त अनुसार बंटवाडा करने हेतु हल्का पटवारी के समक्ष

जिला कलक्टर
बालोतरा

अपनी बात रखी। अपीलांटगण के पिता व रेस्पोडेंटगण संख्या 1 ता 4, 18, 5 ता 17 के पिता, देहाती अनपढ़ व्यक्ति है जिसमें कुछ केवल अपने हस्ताक्षर करना व कुछ अगुष्ठा करना ही जानते है। हल्का पटवारी द्वारा सभी के समक्ष एक नजरीय नक्शा तैयार करते हुए उस पर सहमति देने को कहां गया। उक्त नजरीय नक्शा विवादित विभाजन प्रस्ताव का भाग है। जिस पर उक्त विभाजन प्रस्ताव के कागजात हल्का पटवारी द्वारा तैयार करने पर श्रीमान तहसीलदार पचपदरा के समक्ष पेश करने पर उनके द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के नजरीय नक्शा अनुसार अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। जिस पर सभी पक्षकारों द्वारा विभाजन प्रस्ताव के नजरीय नक्शानुसार रेकर्ड में अमल–दरामद होना मान कर सभी पक्षकारान अपने अपने काम–धन्धे में लग गये। किसी का राजस्व रेकर्ड देखने का काम ही नहीं पड़ा। हाल ही अपीलान्टगण द्वारा अपने जायज जरूरतों के लिए अपने हिस्से में बनी कुछ ढाणियों को हटा कर पक्के मकान इत्यादि के लिए नीवें खोदने का कार्य करने लगे तब रेस्पोडेन्टगण 1 ता 18 अपीलांटगण के हिस्से की भूमि पर आये तथा उन्हे काम करने बाबत रोका तथा रेस्पोडेन्टगण 1 ता 18 ने बताया कि जिस भूमि पर तुम्हारे द्वारा जो रहवासीय ढाणियां व मकानात बने हुए है तथा वर्तमान में जिस भूमि पर निर्माण कार्य शुरू किया है उपरोका भूमि राजस्व रेकर्ड व नक्शा में किसी अन्य खातेदार के हिस्से में है। कैम्प के दौराने उक्त खसरान का बंटवाड़ा हुआ व नजरी नक्शा बनाया गया था। उस नजरीय नक्शा अनुसार हल्का पटवारी ने राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद किया ही नही है, जिससे वर्तमान मौका कब्जा कास्त एवं राजस्व रेकर्ड में भिन्नता है। साथ ही विभाजन प्रस्ताव नजरी नक्शा एवं राजस्व रेकर्ड में भिन्नता होने कारण पक्षकारान में बीच आपसी मन–मुटाव व विवाद–वाद बढ़ा है, जिससे उक्त विभाजन प्रस्ताव के उपरोक्त गलत बंटवाडा अस्तित्व मे रहने से अपीलांटगण को भारी परेशानियों का सामना कर पडेगा व अपीलांटगण ने लाखों रूपये लगाकर अपनी ढाणीयां व रहवासीय मकानात बना रखे है, उससे अपीलांटगण को अत्यधिक अपूरणीय क्षति होगी। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तहसीलदार ने मौका कब्जा की जांच नहीं किया गया तथा राजस्व रेकर्ड व मौके की स्थिति में भिन्नता होने से उक्त आलोच्य विभाजन आदेश बहाल रखते हुए पुनः नये सिरे से मौके की स्थिति अनुसार विभाजन करने का आदेश फरमावे।

5. रेस्पोडेंटगण 1 ता 4, 9, 11 ता 15, 17 व 18 के अधिवक्तागण ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण की पैतृक व संयुक्त खातेदारी भुमि मौजा दुदवा, पटवार मण्डल दुदवा, तहसील पचपदरा, के खेत मूल खंसरा संख्या 198 रकबा 11 बीघा 2 विस्वा, खसरा संख्या 200 रकबा 5 विस्वा, खसरा संख्या 201 रकबा 147 बीघा 06 विस्वा व खसरा संख्या 209 रकबा 12 बीघा 04 विस्वा में अवस्थित है। उक्त खसरान का विभाजन हेतु आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार पचपदरा के समक्ष ग्राम अभियान 2007 के दौरान पेश किया गया। जिस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अतः अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन व आधारहीन होने पर खारीज फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेंटगण संख्या 5, 6, 7, 8, 10 व 16 को जारी रजिस्टर्ड नोटिस तामिल पूर्ण होने के बावजुद भी दौराने बहस अनुपस्थित रहे।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा

जला कलक्टर
बालोतरा

7. हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांटगण द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि मौजा दुदवा, पटवार मण्डल दुदवा, तहसील पचपदरा, के खेत मूल खसरा संख्या 198 रकबा 11 बीघा 2 विस्वा, खसरा संख्या 200 रकबा 5 विस्वा, खसरा संख्या 201 रकबा 147 बीघा 06 विस्वा व खसरा संख्या 209 रकबा 12 बीघा 04 विस्वा के खातेदारान अपीलांटगण व रेस्पोडेंटगण ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.01.2007 को तहसीलदार पचपदरा के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। उपरोक्त वर्णित भूमि पक्षकारान के नाम सहकाश्तकारी में दर्ज हैं तथा उपरोक्त विभाजन के सभी पक्षकारान सहमत हैं। भूमि सहखातेदारों की संयुक्त एंड पैतृक भूमि हैं। इस पर तहसीलदार पचपदरा द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक / भू.अ. / 2007 / 257 दिनांक 19.01.2007 पारित किया गया। अपीलांट की मुख्य आपत्ति है कि विभाजन नजरी नक्शा एवं राजस्व रेकर्ड में भिन्नता होने से बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है। अपीलांटगण अपीलाधीन विभाजन के फलस्वरूप अपीलांटगण की ढाणी, बाड़े इत्यादि रेस्पोडेंट्स के कब्जे में चले गये हैं। जिसके कारण राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति का मिलान नहीं हो रहा है एवं पक्षकारान को अपुर्णीय क्षति हो रही है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें। अधिवक्ता अपीलांटगण द्वारा प्रकट तथ्यों एवं एवं उल्लेखित परिस्थितियों से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक / भू.अ. / 2007 / 257 दिनांक 19.01.2007, को आंशिक रूप से अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार पचपदरा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि विभाजन के दौरान नजरी नक्शा के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकन करते हुए विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 07.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुश्री [illegible])
जिला कलक्टर बालोतरा